न्यायालयः राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण कमॉक : /2014 विविध 2306- PBR/14

रवि कुशवाह, अभि.
आज दि. 30-7-14
प्रस्तुत
30-7-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

30/7/14
Rahul Kushwah Adv
Ravi

1. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह परमार, कष्टम रोड जबाहरगंज डबरा जिला ग्वालियर, म.प्र
2. विजय कुमार पुत्र स्वः श्री प्यारेलाल जैन निवासी तिवारी फार्म रोड जबाहरगंज डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. नगरपालिका डबरा, द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर म.प्र
2. म.प्र. राज्य द्वारा तहसीलदार डबरा जिला ग्वालियर म.प्र
3. राजस्व निरीक्षक, सर्किल 3 डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 वास्ते माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कंमाक 1772–पी.बी.आर में पारित आदेश दिनांक 29.8.13 का पालन न करने बावत् ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 2306–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2015	आवेदक की ओर से श्री रवि कुशवाह अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा अनावेदकगण को कलेक्टर के माध्यम से सूचना पत्र. तामील कराये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–8–2013 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार को कतिपय निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है, अतः आवेदक का यह दायित्व था कि वह प्रमाण सहित तथ्य प्रस्तुत करते कि तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी डबरा एवं राजस्व निरीक्षक सर्किल 3 द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा उनको कोई निर्देश नहीं दिये गये है । अतः यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	